छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा षोडश सत्र अंक-05

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 जुलाई, 2018

(आषाढ़ 15, शक संवत् 1940)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 07, 09 एवं 10 (कुल 09) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

तारांकित प्रश्न संख्या 02 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री भूपेश बघेल के स्थान पर श्री टी.एस.सिंहदेव, सदस्य एवं तारांकित प्रश्न संख्या 03 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री अमित अजीत जोगी के स्थान पर श्री राजेन्द्र कुमार राय, सदस्य अधिकृत थे।

तारांकित प्रश्न संख्या 08 की प्रश्नकर्ता सदस्य डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी अनुपस्थित रहीं।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 37 तारांकित एवं 66 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने -

(1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से प्राप्त छत्तीसगढ़ राज्य के वर्ष 2016-17 के वित्त लेखे खण्ड-1 एवं खण्ड-2 तथा विनियोग लेखे, छत्तीसगढ़ शासन,

(2) छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 (क्रमांक 43 सन् 1973) की धारा 8-क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा अंकेक्षित स्थानीय नगरीय निकायों एवं पंचायत राज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन (अंकेक्षण अवधि वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक),

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार-

(i) छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का पन्द्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-16,

(ii) सोन्डिहा कोल कंपनी लिमिटेड (सी.एम.डी.सी. एवं लूमेन इंजीनियरिंग प्रायवेट लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-16, तथा

(iii) सीएमडीसी आईसीपीएल कोल लिमिटेड का आठवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-16,

(4) विद्युत अधिनियम 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक 79/ छ.ग.रा.वि.नि.आ. /2018, दिनांक 2 फरवरी, 2018 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता (द्वितीय संशोधन) 2018,

(5) विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 (क्रमांक 10 सन् 1949) की धारा 3-स की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक 1349 /एफ 29/01/2016/13/2/ऊ.वि., दिनांक 2 मई, 2018, तथा

श्रीमती रमशीला साहू, समाज कल्याण मंत्री ने-

(6) निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 (क्रमांक 49 सन् 2016) की धारा 83 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, छत्तीसगढ़ शासन का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 **पटल पर रखे।**

3. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज की कार्यसूची में 04 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 22(6) के तहत शामिल किया गया है। सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनायें संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी। संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

सदन द्वारा सहमति दी गई।

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य पढ़े हुए माने गए :-

(1) श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम
(2) श्री राजेन्द्र कुमार राय
(3) श्री बृहस्पत सिंह
(4) सर्वश्री अरूण वोरा, दलेश्वर साहू

4. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री दलेश्वर साहू
(2) श्री दीपक बैज
(3) श्री मोहन मरकाम
(4) डॉ. विमल चोपड़ा
(5) श्री धनेन्द्र साहू

5. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री शिवरतन शर्मा, सभापति ने प्राक्कलन समिति का प्रथम **प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।**

6. मंत्री का वक्तव्य

श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य मंत्री ने दिनांक 4 मार्च, 2015 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित अतारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्रमांक 264) के उत्तर में संशोधन के संबंध में वक्तव्य दिया।

7. मंत्रि-मंडल के विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव

श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि -

"यह सदन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह एवं उनके मत्रि-मंडल के विरूद्ध अविश्वास व्यक्त करता है।"

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

श्री धनेन्द्र साहू,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री, श्री सत्यनारायण शर्मा,

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

श्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे,

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

श्री कवासी लखमा, श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य मंत्री, श्री रामदयाल उईके,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री देवजी भाई पटेल, श्री अमरजीत भगत, श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री,

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से कार्यसूची में सम्मिलित कार्य एवं अन्य औपचारिक कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की)

श्री भूपेश बघेल,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने भाषण के दौरान दस्तावेज सचिव, विधान सभा की मेज पर रखे।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि आप बहुत अनुभवी एवं वरिष्ठ सदस्य हैं, क्या कोई भी दस्तावेज बिना परीक्षण के सदन के पटल पर रखा गया है, मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं।

श्री शिवरतन शर्मा,

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

श्री शिवरतन शर्मा (जारी)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री बृहस्पत सिंह, श्री केदार कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री, श्री केशव चंद्रा,

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री संतराम नेताम,

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

डॉ. विमल चोपड़ा, श्री दलेश्वर साहू,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री, श्री टी. एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष ।

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

श्री टी.एस.सिंहदेव नेता प्रतिपक्ष (जारी)

(सभापति महोदय (श्री संतोष बाफना) पीठासीन हुए।)

श्री टी.एस.सिंहदेव नेता प्रतिपक्ष (जारी)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री टी.एस.सिंहदेव नेता प्रतिपक्ष (जारी)

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

श्री टी.एस.सिंहदेव नेता प्रतिपक्ष ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

डॉ.रमन सिंह-मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

8. समितियों का निर्वाचन

स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति के लिए नौ-नौ सदस्यों का निर्वाचन

माननीय अध्यक्ष ने सूचित किया कि स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति के लिए नौ उम्मीदवारों के नाम निर्देशन प्रपत्र प्राप्त हुए हैं, चूंकि समिति के लिए नौ सदस्य ही निर्वाचित किये जाना है, अत: वे निम्नलिखित सदस्यों को उक्त समिति के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन उक्त समिति के सभापति को नियुक्त करता हूं:-

1. श्री अवधेश सिंह चंदेल
2. श्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे
3. डॉ. खिलावन साहू
4. श्री रामलाल चौहान
5. श्री श्रवण मरकाम
6. श्री सत्यनारायण शर्मा
7. श्री जयसिंह अग्रवाल
8. श्री गिरवर जंघेल
9. श्री दीपक बैज

श्री अवधेश सिंह चंदेल, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

9. नियम 167 (1) के अंतर्गत अग्राह्य विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं की सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 167 (1) के परन्तुक के अंतर्गत विशेषाधिकार भंग की सूचनायें -

1. माननीय डॉ.प्रीतम राम, सदस्य द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 23.03.2018
2. माननीया श्रीमती तेजकुंवर नेताम, सदस्य द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 2.6.2018
3. माननीय श्री देवजी भाई पटेल, सदस्य द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 26.6.2018
4. माननीय डॉ.विमल चोपड़ा, सदस्य द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 30.6.2018 को

उनके द्वारा विचारोपरान्त कक्ष में ही अग्राह्य कर दिया गया है।

10. सत्र का समापन

अध्यक्षीय उद्बोधन

चतुर्थ विधान सभा का सोलहवां सत्र दिनांक 2 जुलाई 2018 से 6 जुलाई 2018 के मध्य आहूत रहा, यह सत्र इस विधानसभा का अंतिम सत्र भी है। इस सत्र में कुल 5 बैठकें सम्पन्न हुई जिसमें लगभग 31 घंटे 05 मिनट चर्चा हुई।

कल दिनांक 5 जुलाई 2018 को आयोजित चतुर्थ विधानसभा के माननीय सदस्यों के सम्मान समारोह एवं उत्कृष्टता अलंकरण के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा जो भावनाएं व्यक्त कीं, उन्हीं भावनाओं से पुनः अपने आपको जोड़ते हुए केवल इतना कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में राजनैतिक दलों को अपनी दलीय प्रतिबद्धताओं से ऊपर उठकर राज्य और राष्ट्र के विकास में हम सभी जनप्रतिनिधियों को अग्रसर होना चाहिए।

चतुर्थ विधानसभा के लिये वरिष्ठतम सदस्य श्री सत्यनारायण शर्मा जी को जागरूक विधायक के रूप में सम्मानित किया गया, इस हेतु मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं तथा वर्ष 2014 में पक्ष से माननीय श्री देवजी भाई पटेल, प्रतिपक्ष से माननीय श्री मोतीलाल देवांगन, वर्ष 2015 में पक्ष से माननीय श्री शिवरतन शर्मा, प्रतिपक्ष से माननीय श्री धनेन्द्र साहू, वर्ष 2016 में पक्ष से माननीय श्रीमती सरोजनी बंजारे, प्रतिपक्ष से माननीय श्री कवासी लखमा एवं वर्ष 2017 में पक्ष से माननीय श्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे एवं प्रतिपक्ष से माननीय श्री मोहन मरकाम को उत्कृष्ट विधायक के रूप में चयनित किया गया था, इन सभी का भी हार्दिक

अभिनंदन करता हूं । इसी प्रकार वर्ष 2014 में हरिभूमि के श्री प्रवीण पाठक, वर्ष 2015 में प्रखर समाचार पत्र के श्री रविकांत कौशिक, वर्ष 2016 में दैनिक नवभारत समाचार पत्र के श्री बृजेश द्विवेदी एवं वर्ष 2017 में दैनिक नई दुनिया के श्री संजीत कुमार को उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार से नवाजा गया। उत्कृष्ट इलेक्ट्रानिक संवाददाता के रूप में वर्ष 2014 में जी न्यूज (म.प्र./छ.ग.) के श्री देवेश तिवारी, वर्ष 2015 में ई.टी.वी. (म.प्र./छ.ग) श्री प्रकाश होता, वर्ष 2016 में आई.बी.सी.24 के श्री धनवेन्द्र जायसवाल एवं वर्ष 2017 में स्वराज एक्सप्रेस के श्री आशीष तिवारी को उनके सहयोगी कैमरामेन क्रमशः श्री अभिषेक पाटसकर, श्री इमरान कुरैशी, श्री मुकेश दरयाब एवं श्री प्रकाश सिंह यादव को पुरस्कृत किया गया । मैं सभी उत्कृष्ट विधायकों, पत्रकारों एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के रिपोर्टर एवं जागरूक विधायक को अपनी ओर से एवं सदन की ओर से बधाई देता हूं तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं ।

इस संबंध में, मैं यह रेखांकित करना आवश्यक समझता हूं कि चतुर्थ विधानसभा में जिन 8 माननीय विधायकों को उत्कृष्ट विधायक के लिये चयनित किया गया उनमें से तीन माननीय विधायक प्रथम बार विधानसभा के लिये चुनकर आये हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ की चतुर्थ विधानसभा में लगभग 59 प्रतिशत सदस्य प्रथम बार निर्वाचित होकर विधायक बने परंतु अपनी मेहनत, लगन और समर्पण से प्रत्येक अवसर पर अपनी संसदीय योग्यता की श्रेष्ठता को सदन में स्थापित किया, निश्चित ही नये माननीय सदस्यों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें भी बधाई देता हूं ।

चतुर्थ विधानसभा की उपलब्धियों के क्रम में यह भी महत्वपूर्ण उपलब्धि रही कि चतुर्थ विधानसभा के कार्यकाल में प्रदेश के लगभग एक लाख से अधिक नागरिकों ने विधानसभा की कार्यवाही का प्रत्यक्ष अवलोकन किया। प्रत्येक सत्र में सदन की कार्यवाही देखने वालों की संख्या में हो रही उत्तरोत्तर वृद्धि राज्य में आमजनों में विकसित होती हुई संसदीय सोच का जीवंत प्रमाण है तथा राज्य शासन की महत्वपूर्ण योजना ''हमर छत्तीसगढ़'' के तहत त्रिस्तरीय पंचायत के पदाधिकारी, सहकारिता, और महिला स्वसहायता समूह के लगभग 1,65,000 (एक लाख पैसठ हजार) प्रतिनिधियों ने विधानसभा का भ्रमण किया।

चतुर्थ विधानसभा के कार्यकाल में हमारे लिये यह भी उपलब्धि है कि इस अवधि में ही प्रश्नकाल का सीधा प्रसारण आरंभ हुआ निश्चित ही हमारे इस प्रयास से संसदीय सदन की व्यापकता को विस्तार मिला । राज्य के आमजनों को राज्य की सर्वोच्च पंचायत विधानसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण देखने का अवसर प्राप्त हुआ। चतुर्थ विधानसभा की उपलब्धियों में यह भी महत्वपूर्ण उपलब्धि रही कि 2 जुलाई 2018 से विधानसभा की वेबसाईट पर सदन की अशोधित कार्यवाही उसी दिवस वेबसाईट पर अपलोड किया जाना प्रारंभ हुआ है।

सत्र के दौरान दिनांक 4 जुलाई, 2018 को मान. सदस्यों ने विधानसभा परिसर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की तथा हरिहर छत्तीसगढ़ की तरफ अग्रसर हुए।

छत्तीसगढ़ का सदन संसदीय मूल्यों के संरक्षण और संवर्धन के लिये स्थापित मापदंड तथा पंच-परमेश्वर की पुनीत भावना से अनुप्राणित हमारी संसदीय शासन प्रणाली का आदर्श रूप छत्तीसगढ़ विधानसभा के कार्यकरण में देखा और समझा जा सकता है। इसका यह उदाहरण है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के माननीय सदस्यों द्वारा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कई अवसरों पर प्रदेश हित में सर्वसम्मति से निर्णय भी लिये गये ।

सदन के संचालन की अपनी एक सीमा होती है तथा उसी सीमा में मैंने आपके द्वारा उठाये गये विषयों को सदन में उठाने का अवसर देने का प्रयत्न किया तथा अपने अध्यक्षीय कार्यकाल के प्रथम दिवस से आज दिवस तक मेरी हमेशा यह कोशिश रही है कि मैं आपकी भावनाओं को यथोचित सम्मान दे सकूं तथा आपने मुझे इस सभा के अध्यक्ष पद के दायित्वों के निर्वहन की जो जिम्मेदारी सौंपी थी, मैंने अपनी क्षमता के अनुसार उस जिम्मेदारी को ईमानदारी के साथ निभाने का पूरा प्रयास किया है।

छत्तीसगढ़ की चतुर्थ विधानसभा के कार्यकाल को इतिहास में जब भी स्मरण किया जायेगा तो इस बात के लिये याद किया जायेगा कि इस विधानसभा में परस्पर सहृदयता, समन्वय और सम्मान का भाव सदैव बना रहा। गठन से लेकर आज दिनांक तक कोई भी अप्रिय असंसदीय घटनाक्रम का न होना ही इस चतुर्थ विधानसभा की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है और इसका पूरा श्रेय मैं आप सभी माननीय सदस्यों को देता हूं।

चतुर्थ विधानसभा के अंतिम सत्र के अंतिम कालखंड में सत्र समापन के अवसर पर मैं सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने सदन के नेता के रूप में कार्य करते हुए सभा के सुव्यवस्थित संचालन में न केवल मुझे सहयोग दिया अपितु प्रत्येक अवसर पर प्रतिपक्ष के आरोप-प्रत्यारोप की स्थिति में अपनी वाणी और व्यवहार में अदभुत संतुलन को बनाये रखकर आपने परिपक्व राजनेता होने का प्रमाण दिया है।

संसदीय लोकतंत्र का यह रथ पक्ष और प्रतिपक्ष रूपी दो पहियों के सहारे चलता है। बिना सजग प्रतिपक्ष के लोकतंत्र की परिकल्पना अधूरी है तथा इस सदन के माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री टी.एस. सिंहदेव जी अनुशासित लोकतंत्र के सजग प्रहरी के रूप में स्वयं को स्थापित करने में सफल रहे हैं, साथ ही नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपने कार्यों का सफलतापूर्वक निर्वहन करने में सफल रहें। मैं उनके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि चतुर्थ विधानसभा के संपूर्ण कार्यकाल में सदन के संचालन में आपने पूर्ण संवेदनशीलता के साथ मुझे सहयोग किया। व्यक्तिगत तौर पर आपकी शिष्टता, सरलता और सहजता से मैं बेहद प्रभावित हुआ हूं।

माननीय संसदीय कार्यमंत्री श्री अजय चंद्राकर जी की भूमिका को रेखांकित करना आज के इस अवसर पर अत्यंत आवश्यक समझता हूं। पक्ष एवं विपक्ष के मध्य समन्वय स्थापित करना निश्चित ही एक चुनौतीपूर्ण कार्य है और इस चुनौती को माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने पूर्ण कुशलता के साथ निर्वहित किया है, मैं उन्हें भी उनकी कुशलता के लिये हार्दिक बधाई देता हूं।

छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर में स्वामी विवेकानंद जी एवं डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी की प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर भी मैंने इस बात का उल्लेख किया था कि छत्तीसगढ़ विधान सभा में पूर्व से महात्मा गांधी जी की प्रतिमा स्थापित थी । महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के दर्शन से हमें उनके सिद्धांतों - सत्य, अहिंसा एवं सादगी की प्रेरणा मिलती है । स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा को देखकर मन में नई ऊर्जा का संचार होगा और भारत की संस्कृति के प्रति हमारी आस्था और सुदृढ़ होगी । इसी प्रकार डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी की प्रतिमा को देखकर देश की एकता और अखण्डता को अक्षुण्ण रखने, सर्वस्व बलिदान करने की प्रेरणा मिलेगी।

आज सत्र के अंतिम दिवस अविश्वास प्रस्ताव पर 14 घंटे 08 मिनट चर्चा हुई अब मैं आपको इस मानसून सत्र में सम्पादित हुए संसदीय कार्यों के संक्षेप में सांख्यिकीय आंकड़ों से अवगत कराना चाहूँगा। इस सत्र में 47 प्रश्न सभा में पूछे गए जिनके उत्तर शासन द्वारा दिए गए। इस प्रकार प्रतिदिन प्रश्नों का औसत लगभग 9 प्रश्नों का रहा। इस सत्र में तारांकित प्रश्नों की 389 सूचनाएं एवं अतारांकित प्रश्नों की 379 सूचनाएं प्राप्त हुई। इस प्रकार प्रश्नों की कुल 768 सूचनाएँ प्राप्त हुईं। इस सत्र में ध्यानाकर्षण की कुल 222 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें 21 सूचनाएं ग्राह्य हुईं और 190 सूचनाएं अग्राह्य हुई तथा 11 सूचनाएं शून्यकाल में परिवर्तित की गई। इस सत्र में स्थगन की कुल 109 सूचनाएं प्राप्त हुई। जिसमें 2 विषयों से संबंधित 69 सूचनाएं सदन मे ली गई जिन पर शासन के वक्तव्य पश्चात सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति नही दी गई। शून्यकाल की 53 सूचनाएँ प्राप्त हुईं जिसमें 23 सूचनाएं ग्राह्य और 30 सूचनाएं अग्राह्य रही। इस सत्र में विनियोग विधेयक सहित 9 विधेयकों की सूचनाएं प्राप्त हुई और 9 विधेयक पारित हुए। वित्तीय कार्यों के अन्तर्गत प्रथम अनुपूरक अनुमान पर 4 घंटे 41 मिनट, चर्चा हुई।

यह भी उल्लेखनीय है कि इस सत्र अवधि के दौरान वेबसाईट पर 6900 विजिटर्स ने 42000 पेज का अवलोकन किया, यह सभी प्रयास प्रदेश की सर्वोच्च प्रजातांत्रिक संस्था छत्तीसगढ़ विधान सभा के कार्यकरण से सीधे तौर पर आम जनता को अवगत कराने के उद्देश्य से सदन की कार्यवाही के अवलोकन हेतु आम नागरिकों को अवसर देतें है। इसी तारतम्य में विभिन्न शासकीय/अशासकीय संस्थाओं, जनप्रतिनिधि संस्थाओं के लगभग 1354 लोगों ने इस सत्र में सदन की कार्यवाही का प्रत्यक्ष अवलोकन किया तथा लगभग 8 हजार नागरिकों ने भी विधानसभा की कार्यवाही का अवलोकन किया।

अन्त में मानसून सत्र के समापन अवसर पर इस सत्र के सुचारू संचालन में सहयोग के लिये मैं सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, समस्त माननीय मंत्रिगणों एवं सभी माननीय सदस्यों के प्रति पुनश्च: हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप सभी के समन्वित प्रयास से इस सदन का निर्बाध संचालन संभव हो पाया।

मैं इस अवसर पर माननीय उपाध्यक्ष सहित सभापति तालिका के माननीय सदस्यों के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने सभा की कार्यवाही के संचालन में मुझे सहयोग दिया। मैं सम्माननीय पत्रकार साथियों एवं प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने सदन की कार्यवाही को बड़ी गंभीरता से प्रचार माध्यमों में प्रमुखता से स्थान देकर प्रदेश की जनता को सभा में सम्पादित कार्यवाही से अवगत कराया। छत्तीसगढ़ दूरदर्शन, द्वारा प्रश्नकाल का जीवंत प्रसारण किया।

सत्र की पूर्णता के अवसर पर राज्य शासन के मुख्य सचिव श्री अजय सिंह सहित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देता हूं, सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई देता हूं जिन्होंने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था पूरे सत्र में कायम रखी।

मैं विधान सभा के सचिव सहित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भी प्रशंसा करता हूं, जिन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण कुशलता एवं निष्ठा के साथ किया।

आज के इस सत्र समापन के अवसर पर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सदन के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से मेरे आदेश, निर्देश अथवा आग्रह से कभी भी किसी की भावना आहत हुई हो तो मैं इसके लिये बड़ी विनम्रता से आप सभी सदस्यों से क्षमा चाहता हूं ।

इस अवसर पर मैं आप समस्त सदस्यों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं।

हम सब छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कृत संकल्पित हों, इन्हीं भावनाओं के साथ ।

धन्यवाद

जय हिन्द, जय भारत, जय छत्तीसगढ़

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री, श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष एवं श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने भी इस अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त किए।

11. राष्ट्रगान

(राष्ट्रगान जन-गण्-मन की धुन बजाई गई)

रात्रि 02.58 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई।

चन्द्र शेखर गंगराड़े

सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा